

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/ए-981/2019/

दिनांक:-

आदेश

श्री अमर सिंह राजपुरोहित, नर्स-2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालासती, जोधपुर को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के माध्यम से सत्र 2018-19 में एस. के. जी मेमोरियल नर्सिंग इन्सटीट्यूट, खसरा नं. 438, झालामण्ड रोड, जोधपुर से पोस्ट बेसिक बी. एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नियमानुसार निम्नांकित शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाती है:-

- 1- नियमानुसार स्वयं का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
- 2- यदि कार्मिक ने पूर्व में अध्ययन अवकाश का उपभोग किया है तो इन्हे अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
- 3- उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
- 4- प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरन्त विभाग में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 5- कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगा।
- 6- राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- 7- नियमानुसार बन्ध पत्र भरना होगा।

—sd—
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/ए-981/2019/469

दिनांक:- 10/05/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. प्रधानाचार्य, एस. के. जी मेमोरियल नर्सिंग इन्सटीट्यूट, खसरा नं. 438, झालामण्ड रोड, जोधपुर।
3. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- ✓ 4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

—sd—
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर